UPBR010000122024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय)–प्रथम बरेली

उपस्थित : रवि कुमार दिवाकर (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या : 03/2024
सेशन केस कम्प्यूटर नं0 : 03/2024

सरकार

बनाम

शिवम शर्मा पुत्र शैलेन्द्र शर्मा,
हार्टमैन, कर्मचारी नगर, शिव कालोनी, प्रेमनगर, बरेली।

मुकदमा अपराध संख्या 250/2019
धारा 376, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
थाना– प्रेमनगर, जनपद बरेली।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण मु0अ0सं0 250/2019, थाना प्रेमनगर, बरेली की पुलिस के द्वारा अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा 376, 323, 504, 506 के अंतर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पारित सुपुर्दगी आदेश दिनॉकित 15.12.2023 पर आधारित है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रेमनगर, बरेली को इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि शिवम से उसकी मुलाकात लल्ला मार्केट में तीन साल पहले हुयी थी। तभी से शिवम का उसके घर

आना–जाना शुरू हो गया था। शिवम उसके पति की अनुपस्थिति में उसके घर जबरन आता था। शिवम ने स्वंय को अविवाहित होने और शादी का झांसा और भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसे डरा– धमकाकर शादी का झांसा देकर धोखे से उसे उसके घर से भगाकर ले गया। उसे अपने साथ बरेली के होटल, मुरादाबाद के होटल और गाजियाबाद के किराये के मकान पर उसे पत्नी की तरह रखा। किराए के मकान पर वे पति–पत्नी की तरह रहे थे। शारीरिक संबंध न बनाने पर शिवम उससे मारपीट, गाली गलौज करता था। उसे बदनाम करने की धमकी देता था। उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसे धमकाता था। शिवम उसे उसके घर से जब भगाकर लेकर गया, तब शिवम ने अपने माता–पिता, चाचा–चाची, भाई से परिचय कराया। सबने उसे बहू बनाना स्वीकार किया था। अब शिवम और परिवार वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। शिवम भी अब उससे रिश्ता रखने से इंकार कर रहा है। लगातार तीन साल से शिवम् ने उसका शारीरिक शोषण किया व जबरदस्ती अनाधिकार किया है।

3. वादिनी मुकदमा/पीड़िता की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0 250/2019 अन्तर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भा0द0सं0, 1860 पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयानात अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध धारा 376, 323, 504, 506 भा0द0सं0, 1860 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 209/2019 न्यायालय में प्रेषित किया गया

4. प्रश्नगत मामलें में अभियुक्त शिवम शर्मा के विरुद्ध दिनांक 08.02.2024 को आरोप अन्तर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भा0दं0स0, 1860 विरचित किया गया, अभियुक्त को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व

समझाया गया, किन्तु अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से, अभियुक्त के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क0सं0	साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी0डब्लू0–1	वादिनी मुकदमा	पीड़िता
2.	पी0डब्लू0–2	सी0सी0 सत्य प्रकाश गौतम	चिक लेखक
3.	पी0डब्लू0–3	एस0आई0 सोनिया यादव	विवेचक
4.	पी0डब्लू0–4	नरेन्द्र गुप्ता	परिस्थितिजन्य साक्ष्य
5.	पी0डब्लू0–5	डा0 नीलम आर्या	विशेषज्ञ साक्षी

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

क्र.सं.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	मूल तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 पीड़िता/वादिनी मुकदमा
2.	बयान पीड़िता अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1 पीड़िता/वादिनी मुकदमा
3.	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2 सी0सी0 सत्य प्रकाश गौतम

4.	जी0डी0 कायमी	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–2 सी0सी0 सत्य प्रकाश गौतम
5.	नक्शा नजरी मौका–ए–वारदात	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–3 एस0आई0 सोनिया यादव
6.	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–3 एस0आई0 सोनिया यादव
7.	मेडीकल रिपोर्ट वादिनी मुकदमा/पीड़िता	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्य

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि डा0 नीलम आर्य गवाह पी0डब्लू0–5 के रूप में परीक्षित हुयी हैं, जिन्होंने अपने बयानात के माध्यम से पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है, किन्तु पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विवेचक के द्वारा आरोप–पत्र को साबित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–6 अंकित किया गया हैं। अतः पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 सहवन अंकित हो गया है, इसलिए पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के स्थान पर प्रदर्श क–7 के रूप में पढ़ा जायेगा।

7. अभियुक्त शिवम शर्मा का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताते हुये यह अभिकथन किया है कि साक्षीगण के द्वारा बयान गलत दिये गये हैं। मुकदमा रंजिशन चलना बताते हुये कथन किया कि उसे झूठा फंसाया है।

अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में सूची 11ख/1 से 11ख/2 ता 12ख/3 अभिलेख दाखिल किये गये हैं।

8. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9. आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

10. प्रश्नगत मामले में अभियोजन को यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि अभियुक्त शिवम शर्मा द्वारा दिनॉक, समय अदम तहरीर एवं स्थान लल्ला मार्केट अंतर्गत थानाक्षेत्र प्रेमनगर, जिला बरेली में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये। शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर अभियुक्त शिवम शर्मा द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ मारपीट की गयी और गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी।

11. इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री दिगम्बर सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त शिवम शर्मा द्वारा दिनॉक, समय अदम तहरीर एवं स्थान लल्ला मार्केट अंतर्गत थानाक्षेत्र प्रेमनगर, जिला बरेली में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये। शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर अभियुक्त शिवम शर्मा द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ मारपीट की गयी और गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। उपरोक्त अपराधिक कृत्य को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

12. इस संबंध में अभियुक्त शिवम शर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त शिवम शर्मा द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कोई बलात्कार का अपराध कारित नहीं किया गया और न ही उसके साथ कोई मारपीट की गयी और न ही गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी। घटना तीन वर्ष पहले की बतायी गयी है। कोई समय, दिनांक व दिन का उल्लेख तहरीर में नहीं किया गया है। तहरीर में जबरदस्ती का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यदि अभियुक्त के द्वारा वीडियो बनायी गयी होती, तो निश्चित रूप से विवेचना में वीडियो की बात आती। अभियोजन की ओर से कोई ऐसा साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करता हो। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाय।

13. अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 विरचित किये गये है, जिनकी व्याख्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में निम्नलिखित है :–

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान उपबन्धित है। बलात्संग को धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है– " यदि कोई पुरूष –

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहॉ ऐसा निम्नलिखित सात भॉति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है–

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा –उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवा – उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्ता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवॉ – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

सातवॉ – जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

अतः उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को बलात्संग करने वाला माना जाता है, यदि वह उपरोक्त निम्नलिखित सात परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के अधीन कार्य करता है।

धारा 323 – स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड – उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 504 –लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगाा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 506 – आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड – जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो – तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि

सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

14. इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–1 के रूप में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को परीक्षित कराया गया है।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि उसकी उम्र 34 वर्ष है। वह लल्ला मार्केट में 2016 के लगभग रहती थी। तभी उसकी शिवम शर्मा से लल्ला मार्केट में जान–पहचान हो गयी। उसने उसके घर आना–जाना शुरू कर दिया। तारीख की घटना मार्च या अप्रैल रहा होगा, उसे सही से याद नहीं है। शिवम शर्मा उसके घर आया व बिना उसकी सहमति के बलात्कार किया। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसने उसकी वीडियो बनायी। वीडियो के आधार पर वह ब्लैकमेल करता रहा और उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था। उसने उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो उसने मना कर दिया। ये बातें उसने अपने पति को नहीं बतायीं। फिर वह उसे जबरदस्ती अपने साथ जीत होटल ले गया और उसे चार दिन रखा और बलात्कार किया तथा धमकी दी। फिर उसे दिनॉक 16.03.2019 को मुरादाबाद लेकर गया। शिवम शर्मा ने उसे होटल में रखा। न्यू जनता होटल जो स्टेशन के पास है वहॉ तीन दिन तक रखा और बलात्कार किया। मुरादाबाद से शिवम शर्मा उसे गाजियाबाद लेकर गया। उसके साथ गाजियाबाद एक या दो दिन रहा, फिर यह चला गया और फिर फोन करने पर इसने उसका फोन नहीं उठाया, न ही शिवम शर्मा के घर वालों ने फोन उठाया। शिवम शर्मा ने न्यू पंचवटी कालोनी में उसे पत्नी की तरह रखा व बलात्कार किया, फिर उसे मुरादाबाद लेकर आया और मारा पीटा। मुरादाबाद में उसे छोड़कर चला गया। फिर उसके पति से तलाक का मुकदमा करवाया। वह यह चाहती है कि इसे सजा हो,

क्योंकि इसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुकदमा थाना प्रेमनगर में पंजीकृत करवाया था। पत्रावली में शामिल कागज सं0 5क हस्तलिखित तहरीर गवाह को दिखाई व पढ़ी, तो गवाह ने तहरीर की शिनाख्त की। तहरीर उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला कांस्टेबल द्वारा बयान उसका लिया गया था। बयान पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। माननीय न्यायालय में सील बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें बयान 164 दं0प्र0सं0 निकला, जिस पर लगा फोटो व हस्ताक्षर देखकर गवाह ने शिनाख्त की कि वह उसके हैं। धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान पढ़कर सुनाया गया, तो पीड़िता ने कहा कि उसने बयान अपनी स्वतंत्र सहमति से दिये थे, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उसका मेडीकल जिला अस्पताल में हुआ था।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/ पीड़िता के द्वारा अपने बयानात के माध्यम से मूल तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में तथा बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया गया है।

प्रश्नगत मामले में वादिनी मुकदमा/पीड़िता की मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को देखने से स्पष्ट है कि पीड़िता ने अभियुक्त शिवम से अपनी मुलाकात लल्ला मार्केट तीन साल पहले बतायी है और तभी से शिवम का उसके घर आना–जाना शुरू हो गया। यही बात पीड़िता ने ऊपर वर्णित अपनी मुख्य परीक्षा में भी कही है और पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी उम्र 34 वर्ष बतायी है तथा बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में जो कि 18.07.2019 को अंकित किये गये हैं उसमें अपनी उम्र 29 वर्ष बतायी है, इसलिए घटना के समय पीड़िता बालिग थी। अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि पीड़िता तथा अभियुक्त शिवम के बीच दोस्ती हो गयी और अभियुक्त शिवम ने उसके घर आना–जाना शुरू कर दिया। **इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त शिवम पीड़िता की**

इच्छा से उसके घर आता–जाता था और पीड़िता की इसमें स्वतंत्र सहमति थी।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को आगे देखने से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी तहरीर में इस तथ्य का अंकन किया है कि शिवम ने स्वंय को अविवाहित होना और शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया है। **अतः न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त पीड़िता जो स्वंय में शादी शुदा महिला है उसके साथ अभियुक्त शिवम के द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार किये जाने की बात नेचुरल अर्थात् स्वाभाविक नहीं लगती है।**

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को आगे देखने से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी तहरीर में इस तथ्य का अंकन किया है कि अभियुक्त शिवम उसे डरा धमकाकर शादी का झांसा देकर धोखे से घर से भगा ले गया। अभियुक्त शिवम ने उसे बरेली के होटल, मुरादाबाद के होटल और गाजियाबाद में किराये के मकान में उसे पत्नी की तरह रखा। किराये के मकान पर वे पति पत्नी की तरह रहे। लगभग इसी से मिलती जुलती बात पीड़िता ने ऊपर वर्णित अपने मुख्य बयानात में कही है। **अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ बरेली के होटल में लेकर गया, मुरादाबाद के होटल में रखा और गाजियाद बाद में किराये के मकान में पत्नी की तरह रखा और वह गाजियाबाद में एक दूसरे के साथ पति–पत्नी की तरह रहे। पीड़िता की तहरीर एवं न्यायालय के समक्ष कराये गये पीड़िता के मुख्य बयानात से स्पष्ट है कि वह अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ गाजियाबाद में किराये के मकान में पति–पत्नी की तरह रहती थी। अभियुक्त शिवम शर्मा एवं पीड़िता के पति–पत्नी की तरह रहने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंनें जो शारीरिक संबंध बनाये वह अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से पति–पत्नी के रूप में बनाये। यदि वास्तव में अभियुक्त शिवम शर्मा ने**

पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती अर्थात् बलात्कार किया होता, तो निश्चित रूप से इतने होटलों और गाजियाबाद के किराये के मकान में पीड़िता ने अवश्य शोर मचाकर लोगों को एकत्रित कर इस घटना के बारे में बताया होता। जबकि पीड़िता के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त घटना संदिग्ध हो जाती है।

मूल तहरीर प्रदर्श क–1 को आगे देखने से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी तहरीर में इस तथ्य का अंकन किया है कि अभियुक्त शिवम भी उससे अब रिश्ता रखने से इंकार कर रहा है। **अतः पीड़िता की उपरोक्त तहरीर में वर्णित कथन से स्पष्ट है कि अब अभियुक्त शिवम उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता ने उपरोक्त मुकदमा मात्र इसलिए लिखवा दिया कि अभियुक्त शिवम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है।**

पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 में पीड़िता ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त शिवम शर्मा से उसकी मुलाकात लल्ला मार्केट में हुयी थी। शिवम शर्मा से उसके शारीरिक संबंध बने। **अतः न्यायालय के मतानुसार पीड़िता का अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कहना कि उसके शिवम शर्मा से शारीरिक संबंध बन गये, से स्पष्ट होता है कि शारीरिक संबंध बनाने के कृत्य में वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा थी। वादिनी मुकदमा/पीड़िता की इच्छा एवं सहमति से ही शारीरिक संबंध बने।**

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 पर यह कथन किया कि वह बी0ए0 पढ़ी लिखी है। उसकी जन्म तिथि 22 जनवरी 1988 है। वह शादी–शुदा है। उसकी शादी 22 नवम्बर, 2004 को हुयी थी। उसके तीन बच्चे हैं। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि वह एक पढी लिखी महिला है और उसे अच्छे और बुरे का अंतर मालूम है। पीड़िता**

की जिरह से यह भी स्पष्ट है कि वह शादी शुदा महिला है। उसकी शादी 22 नवम्बर, 2004 को हुई थी, उसके तीन बच्चे भी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 पर आगे यह भी कथन किया कि उसकी पहली मुलाकात उसके घर पर हुयी थी, लल्ला मार्केट में। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम शर्मा से उसकी पहली मुलाकात पीड़िता के ही घर पर लल्ला मार्केट में हुयी थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त शिवम शर्मा से पीड़िता के संबंध अच्छे रहे होंगें, इसीलिए पीड़िता ने अभियुक्त से घर पर मुलाकात की।**

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 4 पर यह कथन किया कि वे दोनों लोग भागकर घर से शादी के उद्देश्य से गये थे। उन्होंने कहीं शादी नहीं की। वे केवल होटलों में ही रूके थे। शिवम शर्मा ने गाजियाबाद में न्यू पंचवटी कालोनी में किराये पर कमरा लिया था। वे वहॉ एक महीने रहे। उसके पति को जानकारी थी कि वह शिवम शर्मा के साथ भागकर गयी है और पति–पत्नी की तरह रह रहे हैं। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता उपरोक्त जिरह से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम शर्मा तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता दोनों लोग आपस में सहमति से शादी के करने के उद्देश्य से घर से भागकर गये थे। किन्तु दोनो लोगों ने शादी नहीं की। दोनों लोग होटल में भी रूके तथा गाजियाबाद में न्यू पंचवटी कालोनी में किराये के मकान में लगभग एक महीना रहे तथा उपरोक्त सब बातों की जानकारी वादिनी/पीड़िता के पति को भी थी कि वह अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ भागकर गयी है और अभियुक्त शिवम शर्मा तथा पीड़िता पति–पत्नी की तरह रह रहे हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो कि पढी–लिखी एवं शादी–शुदा है तथा तीन**

बच्चों की मॉ हैं। वह अच्छे–बुरे में फर्क करना जानती है। जब पीड़िता अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ पति–पत्नी की तरह रह रही है, तो निश्चित रूप से दोनों के मध्य स्वतंत्र सहमति से शारीरिक संबंध भी बनेंगे। यदि वास्तव में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को अभियुक्त शिवम जबरदस्ती ले गया होता, तो उसके पति ने स्थानीय पुलिस थाने में अवश्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई होती। किन्तु प्रश्नगत मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उपरोक्त परिस्थितियॉ भी घटना के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से गवाह पी0डब्लू0–4 के रूप में नरेन्द्र गुप्ता, जो कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के पति हैं, परीक्षित हुये हैं। गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता ने जिरह के पेज सं0–2 पर कहा कि उसे कभी भी उसकी पत्नी वादिनी मुकदमा/पीड़िता व शिवम शर्मा के आपस में चल रहे प्रेम संबंध के बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं है। यह बात भी सही है कि उसकी पत्नी शिवम शर्मा के साथ कब जाती, कब आती उसे कोई जानकारी नहीं हैं। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में बरेली में तलाक का मुकदमा डाल रखा है। **अतः गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता की जिरह से स्पष्ट है कि उसकी पत्नी का अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ प्रेम संबंध था तथा उसकी पत्नी अर्थात् वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने उसके विरूद्ध तलाक का मुकदमा पारिवारिक न्यायालय बरेली में कर रखा है।**

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता एक हिन्दू शादी–शुदा महिला है एवं तीन बच्चों की मॉ है और उसका विवाह विच्छेद उसके पति से नहीं हुआ है। हिन्दू विधि में हिन्दू महिला या पुरूष न्यायालय के आदेश से ही विवाह विच्छेद कर सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता बिना विवाह विच्छेद किये अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी करना चाहती थी।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 4 पर आगे यह भी कथन किया कि जहॉ गाजियाबाद में उन्होंने किराये पर रूम लिया था, वहॉ मकान मालिक भी रहते थे और वे ऊपर दूसरी मंजिल पर रहते थे। उसने किसी को नहीं बताया था कि अभियुक्त शिवम शर्मा उसे भगाकर लाया है और पति पत्नी की तरह यहॉ पर रह रहे हैं। जिन–जिन होटलों में रही वहॉ उसने अपने आधार कार्ड की कापी भी दी थी। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि वह गाजियाबाद में किराये का मकान लेकर दूसरी मंजिल पर पति–पत्नी की तरह रहे तथा उस मकान में मकान मालिक भी रहता था। यदि वास्तव में पीड़िता को अभियुक्त शिवम शर्मा भगाकर ले गया होता, तो निश्चित रूप से जब वह पति–पत्नी की तरह उस मकान में किराये पर रह रहीं थीं, तो उसने मकान मालिक और आस–पड़ोस के लोगों के यह बातें बतायी होती। किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वरन् पीड़िता जिन–जिन होटलों में अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ ठहरी हैं, वहॉ पर उसने अपना ही आधार कार्ड की प्रतियॉ होटल में पहचान हेतु दी है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ अपनी स्वतंत्र सहमति से गई थी।**

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 5 पर यह कथन किया कि उसने अपने मोबाइल सिम 7248031553 को मुरादाबाद में अपनी आई0डी0 से लिया था। अतः वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि मुरादाबाद में जो मोबाइल सिम प्रयोग करती थी, वह पीड़िता ने अपनी आई0डी0 पर लिया था।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 5 पर आगे यह भी कथन किया कि डाक्टर द्वारा

लिये गये बयान में उसने कहा था कि शिवम नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गयी। वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है और शिवम के साथ पति–पत्नी की तरह रहने लगी थी। अब वह उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता है। यह बात सही है शिवम शर्मा के साथ रहने के दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ, वह बच्चा उसके पति का है। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि डाक्टर के समक्ष दिये गये बयानात में उसने यह कहा था कि अभियुक्त शिवम शर्मा से उसकी दोस्ती हो गयी और इस कारण से पीड़िता अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ पति–पत्नी की तरह रही और अब अभियुक्त शिवम शर्मा उसे नहीं रखना चाहता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध पीड़िता ने असत्य कथनों के आधार पर उपरोक्त मुकदमा लिखवाया, क्योंकि अभियुक्त शिवम शर्मा उसे नहीं रखना चाहता था।**

गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 6 पर यह कथन किया कि फैमिली वालों ने उससे रिश्ते तोड़ दिये थे। **अतः गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता की जिरह से स्पष्ट है कि फैमिली वालों ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता से रिश्ते तोड़ लिये थे, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता शादी–शुदा एवं तीन बच्चों की मॉ होते हुए भी जब अपने पति को छोड़कर अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ चली गयी, तो सामाजिक मान मर्यादा के डर से पीड़िता के परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया।**

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी शुदा होते हुए भी शादी करना चाहती थी। वादिनी मुकदमा/पीड़िता का यह अभिकथन कि अभियुक्त शिवम शर्मा ने उसे शादी का झांसा देकर लगातार तीन वर्षों तक

बलात्कार किया, सत्यता से परे है, क्योंकि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता अभियुक्त शिवम शर्मा से जो शारीरिक संबंध बनाती थी, वह अपनी स्वतंत्र सहमति से बनाती थी।

इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता घटना के समय बालिग व शादी शुदा थी। उसके तीन बच्चे हैं। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता एवं अभियुक्त शिवम शर्मा के मध्य तीन सालों से प्रेम संबंध चल रहा था, जिस कारण से वह शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। अतः जब दोनों पक्ष बालिग हों और दोनों पक्ष में अफेयर हो और दोनों जवान हों और समझदार हों तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी शुदा होने के बावजूद शादी करने की इच्छुक हो और दोनों पक्ष ऐसी परिस्थिति में शारीरिक संबंध स्थापित करते हों, तो वे इसके परिणाम को भली भॉति जानते हैं। यह कितना नैतिक होगा और कितना अनैतिक होगा, वह यह भी जानते हैं। पक्षकार समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को भी समझते हैं। यह सब सोचने समझने की पर्याप्त बुद्धि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के पास थी। गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने हेतु जो सहमति दी थी, वह पूर्णतः वैध सहमति थी। पीड़िता की सहमति भ्रम (**Misconception**) पर आधारित नहीं थी, क्योंकि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर लगभग तीन वर्ष तक वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ विभिन्न स्थानों पर, जो कि आबादी के स्थान में स्थित हों, शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। तीन वर्ष तक की लम्बी अवधि तक शारीरिक संबंध बिना महिला की स्वीकृति के सम्भव ही नहीं है। उपरोक्त प्रकरणा में निश्चित रूप से पीड़िता अपनी स्वतंत्र सहमति देने के लिए सक्षम थी। अतः उपरोक्त कृत्य बलात्कार की श्रेणी में कतई नहीं आयेगा।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में परिभाषित सात परिस्थितियों में से पहली व दूसरी परिस्थिति अर्थात् उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं उसकी सहमति के बिना की श्रेणी में आता है। धारा 375 के स्पष्टीकरण दो में सहमति का अर्थ यह बताया गया है कि सहमति स्पष्ट स्वेच्छिक समझौता है, जो महिला द्वारा शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर मौखिक संचार के किसी भी रूप में विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती हो। बशर्ते कि उपरोक्त सम्मति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 90 से प्रभावित न हो अर्थात् डर या गलत फैहमी में न दी गयी हो। प्रश्नगत प्रकरण में पीड़िता, जो कि शादी–शुदा महिला है, के द्वारा अभियुक्त शिवम शर्मा से प्रेम प्रसंग होने के कारण तथा अभियुक्त शिवम शर्मा से विवाह की इच्छुक होने के कारण वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वतंत्र सहमति से अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाये।

इस संबंध में मैं विधि व्यवस्था उदय बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 4, एस0सी0सी0 46 (सुप्रीम कोर्ट) का उल्लेख करना उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि It therefore appears that the consensus of judicial opinion is in favour of the view that the consent given by the prosecutrix to sexual intercourse with a person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date, cannot be said to be given under a misconception of fact. A false promiseis not a fact within the meaning of the Code. We are inclined to agree with this view, but we must add that there is no straitjacket formula for determining whether consent given by the prosecutrix to sexual intercourse is voluntary, or whether it is given under a misconception of fact. In the

ultimate analysis, the tests laid down by the courts provide at best guidance to the judicial mind while considering a question of consent, but the court must, in each case, consider the evidence before it by and the surrounding circumstances, before reaching a conclusion, because each case has its own peculiar facts which may have a bearing on the question whether the consent was voluntary, or was given under a misconception of fact. It must also weigh the evidence keeping in view the fact that the burden is on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them. माननीय न्यायालय की उपर्युक्त विधि व्यवस्था में उल्लिखित मन्तव्य के प्रकाश में स्पष्ट है कि मामले में अभियोजन को प्रत्येक दशा में उपर्युक्त कथित शारीरिक सम्बन्ध में घटना में पीड़िता की स्वतंत्र सम्मति का पूर्णतया अभाव साबित करना आवश्यक था। उपर्युक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिवीजन बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिमत का उल्लेख करते हुए यह भी अभिमत व्यक्त किया है कि The failure to keep the promise at a future uncertain date due to reasons not very clear on the evidencedoes not always amount to a misconception of fact at the inception of the act itself. In order to come within the meaning of misconception of fact, the fact must have an immediate relevance. The matter would havebeen different if the consent was obtained by creating a belief that they were already married. In such a case the consent could be said to result from a misconception of fact. But here the fact alleged is a promiseto marry wedo not know when. If a full grown girl consents to the act tosexual intercourse on a promise of marriage and continues to indulge in such activity until she becomes pregnant it is an act of promiscuity of her part and not an act induced by misconception of fact. S. 90 IPC cannot be called in aid in

such a case to pardon the act of the girl and fasten criminal liability on the other, unless the Court can be assured that from the very inception the accused never really intended to marry her.

इस संबंध में मैं विधि व्यवस्था ध्रुवराम मुर्लीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, ए0आई0आर0 2019 सु0को0 327 तथा प्रमोद सूर्यभार पंवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2020 (110) ए0सी0सी0, 924 का उल्लेख करना उचित समझता हूॅ। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Where the relationship originated in a love affair, developed over a period of time accompanied by physical relations, consensual in nature, but the marriage could not fructify because the parties belonged to different castes and comunities, quashed the proceedings.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह विधिक स्थिति प्राप्त होती है कि यदि पीड़िता तथा अभियुक्त के मध्य प्रेम प्रसंग रहा हो तथा सहमति से उन दोनों के मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए हों, तो ऐसे में अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम शर्मा के द्वारा जो वादिनी मुकदमा/पीड़िता से जो शारीरिक संबंध बनाये गये वह वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्वतंत्र इच्छा एवं स्वतंत्र सहमति से बनाये गये, क्योंकि वादिनी मुकदमा/पीड़िता शादी–शुदा होते हुए भी अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी करना चाहती थी, जिस कारण से वादिनी मुकदमा/पीड़िता का अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ प्रेम संबंध था तथा अभियुक्त शिवम शर्मा के द्वारा न तो वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कोई मारपीट की गयी और न ही गाली गलौज की गयी और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी।

15. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–2 के रूप में हेड कां0 सत्यप्रकाश गौतम को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–2 हेड कां0 सत्यप्रकाश गौतम प्रश्नगत प्रकरण में चिक लेखक अर्थात् औपचारिक साक्षी हैं। गवाह पी0डब्लू0–2 हेड कां0 सत्यप्रकाश गौतम के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानात के माध्यम से **चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क–3 के** रूप में तथा **जी0डी0 कायमी को प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

16. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–3 के रूप में एस0आई0 सोनिया यादव को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–3 एस0आई0 सोनिया यादव प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक अर्थात् औपचारिक साक्षी हैं। गवाह पी0डब्लू0–3 एस0आई0 सोनिया यादव के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानात के माध्यम से **नक्शा नजरी को प्रदर्श क–5 के** रूप में तथा **आरोप–पत्र को प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है।

17. इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–4 के रूप में नरेन्द्र गुप्ता को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता प्रश्नगत प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि उसकी शादी वर्ष 2004 में वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ हुयी थी। पीड़िता से उसके तीन बच्चे हैं। वह वर्ष 2018 से वर्ष 2019 के माह जून तक लल्ला मार्केट के पास किराये के मकान में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घरेलू कामों से अक्सर लल्ला मार्केट आया–जाया करती थी। वहीं मार्केट में आते–जाते उसकी पत्नी की जान पहचान शिव शर्मा से हो गयी। शिव शर्मा उसी बीच एक दिन उसके घर पर भी आया था। जब वह घर आया, तो उस समय

भी शिवम शर्मा घर पर ही था। उसकी पत्नी ने बताया कि शिवम शर्मा उसका परीचित है। वह किसी कार्य से बाहर चला गया। जब वह लौटकर आया, तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। बच्चों ने बताया कि शिवम अंकल के साथ मम्मी कहीं चली गयी हैं। जब उसकी पत्नी नहीं आयी, तो उसने उसको तलाश किया और पुलिस को भी सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने थाना प्रेमनगर जाकर शिवम के विरूद्ध मुकदमा लिखाया और उसे पत्नी ने बताया कि शिवम उसको शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर गया था और इसी बीच शिवम ने उसको अलग–अलग जगहों पर रखा और शादी के झांसे में लेकर उसके साथ संबंध बनाये। मुकदमा लिखे जाने के बाद पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता के मुख्य बयानात के विश्लेषण से अभियुक्त शिवम शर्मा की जान पहचान उसकी पत्नी अर्थात् वादिनी मुकदमा/पीड़िता से थी। अभियुक्त शिवम शर्मा उसके घर पर आता–जाता था। गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता का परिचय अभियुक्त शिवम शर्मा से उसकी पत्नी अर्थात् वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने कराया था।

गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 पर यह कथन किया कि शिवम शर्मा को उसने एक बार देखा था, जब वह उसके घर पर आया था। जब उसकी पत्नी/पीड़िता उसे चाय नाश्ता करा रही थी। अतः गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता की जिरह से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त शिवम शर्मा को अपने घर पर उसी पत्नी अर्थात् वादिनी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा चाय नाश्ता कराते समय देखा था अर्थात् अभियुक्त शिवम शर्मा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की स्वतंत्र सहमति से उसके घर पर चाय नाश्ता कर रहा था।

गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता ने अपनी जिरह के पेज संख्या 2 पर आगे यह भी कथन किया कि शादी के बाद में अपनी पत्नी के साथ अपने खुद के मकान में दो–तीन साल रहा था। घर की चे चे मे मे लड़ाई झगड़े की वजह से वह किराये के मकान में रहने चला गया था। अतः गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता की जिरह से स्पष्ट है कि उसकी पत्नी अर्थात् वादिनी मुकदमा/पीड़िता अपने ससुराल में न रहकर अलग मकान में अपने पति के साथ रहती थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता स्वच्छन्द विचारों वाली महिला है।

18. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–5 के रूप में डा0 नीलम आर्या को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्या प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्या ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा कि दिनॉक 08.07.2019 को वह बतौर ई0एम0ओ0 ड्यूटी पर तैनात थी। उस दिन समय 12:30 ए0एम0 पर उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसे महिला कां0 2386 प्राची लेकर आयी थी। पीड़िता के पहचान चिन्ह के रूप में बायें गाल पर नाक के पास एक काला तिल मौजूद था। पीड़िता ने संक्षेप में उसे अपने बयानों में बताया कि उसके पति से तलाक की बात चल रही थी। इसी बीच शिवम नाम के लड़के से दोस्ती हो गयी। वह उसके साथ पति–पत्नी की तरह रहने लगी, उसका एक बच्चा भी शिवम से पैदा हुआ है। वह एक साल का है। अब वह उसे अपने साथ रखने से मना कर रहा है। वह उसे छोड़कर अपने घर मम्मी–पापा के पास चला गया। पीड़िता मेडीकल कराने से पहले स्नान कर चुकी थी और कपड़े बदलकर आयी थी।

बाह्य परीक्षण – शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे।

आंतरिक परीक्षण –हाइमन पुराना फटा हुआ था। पुराने घाव से भरा हुआ था। पीड़िता के खून के नमूने लेकर पैथोलॉजी लेब में भेजा और पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से भी नमूने लिये गये। नमूने निम्नांकित हैं– वलवल स्वैब, वैजाइनल स्वैब, वैजाइनल स्मियर, वैजाइनल वॉश एफ0एस0एल0 के लिए फौरैंसिक लैब भेजा गया। पैथोलॉजी लैब में शुक्राणु परीक्षण के लिए वैजाइनल स्लाइड भेजी गयी। ब्लड सैम्पल एच0आई0वी0, वी0डी0आर0एल0, एच0बी0एस0ए0जी0 की जॉच के लिए भेजा गया।

सप्लीमेंट्री रिपोर्ट : – 14.07.2019 को चिकित्सीय रिपोर्ट और पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर सप्लीमैन्ट्री रिपोर्ट तैयार की गयी। वैजाइनल स्लाइड में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये। खून के नमूने की भी जॉच नेगेटिव आई।

सैक्सुअल असॉल्ट के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज सं0 4क/1 लगायत 9क को देखकर कहा यह वही रिपोर्ट है, जो उसने मेडीकल परीक्षण के दौरान तैयार की थी, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है, जो उसके द्वारा प्रमाणित है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।

गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्य ने अपने मुख्य बयानात के माध्यम से पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्य के मुख्य बयानात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि **वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने उपरोक्त डाक्टर के समक्ष यह बयान दिया कि उसकी उसके पति से तलाक की बात चल रही है तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की अभियुक्त शिवम शर्मा से दोस्ती है और वह पति–पत्नी की तरह रहते हैं। किन्तु अब अभियुक्त**

शिवम शर्मा उसे अपने साथ रखने से मना कर रहा है। मेडीकल में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये।

गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्य ने जिरह के पेज सं0–3 पर यह कहा कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। पीड़िता कपड़े बदलकर आयी थी। ये बात पीड़िता ने बतायी थी कि वह शिवम शर्मा के साथ रह रही है पति–पत्नी की तरह। शिवम शर्मा से एक बच्चा हुआ है, जो एक वर्ष का है। अब वह उसे रखना नहीं चाहता है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, वह यह नहीं बता सकती हैं। **अतः गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्य की जिरह से स्पष्ट है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये और न ही पीड़िता की मेडीकल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो।**

इस संबंध में मैं कृष्णा उर्फ कृष्अप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2014) 15 एस0सी0सी0 596 का उल्लेख करना उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यदि रेप प्रकरण में अभियुक्ता का कोई चोट नहीं आयी है और न ही अभियोजन के गवाहों ने इसका समर्थन किया है, तो ऐसे मामलों में दोषसिद्धि सम्भव नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में मेडीकल रिपोर्ट एवं गवाह पी0डब्लू0–5 डा0 नीलम आर्या के बयानात से रेप की पुष्टि नहीं होती है। पीड़िता के बयान का ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है, उपरोक्त पीड़िता के बयान में स्वंय घोर विरोधाभास एवं ढेर सारी विसंगतियॉ हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मेडीकल एवीडेन्स भी पीड़िता की घटना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा है, जिससे घटना असत्य एवं निराधार हो जाती है।

19. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना तीन वर्ष पहले की बतायी गयी है। किन्तु घटना का कोई समय, दिनॉक व दिन का उल्लेख तहरीर में नहीं किया गया है। मेरे द्वारा मूल तहरीर प्रदर्श क–1 का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त तहरीर में वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने तीन साल तक अभियुक्त शिवम के साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया है। किन्तु तहरीर में घटना का कोई निश्चित समय, निश्चित दिनॉक एवं निश्चित दिन का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल मिलता है कि प्रश्नगत घटना पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि यदि घटना वास्तव में हुयी होती, तो निश्चित रूप से निश्चित तारीख, दिन व समय बताया गया होता।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि तहरीर में कहीं पर भी जबरदस्ती शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाता हूँ, क्योंकि मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में जबरदस्ती शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा यदि कोई वीडियो बनायी गई होती, तो निश्चित रूप से विवेचना में वीडियो की बात आती। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमें की आधारशिला अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 में कहीं पर भी वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अभियुक्त के द्वारा वीडियो बनाने की बात नहीं कही है और न ही सम्पूर्ण अभियोजन प्रपत्रों में कहीं ऐसी बात आयी है, वरन् वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य बयानात में वीडियो बनाने की बात कही है, जो कि पूर्णतः असत्य एवं निराधार है, क्योंकि यदि वास्तव में अभियुक्त शिवम शर्मा के द्वारा वीडियो

बनाया गया होता, तो वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाते समय यह बात जरूर लिखवायी होती।

20. आपराधिक प्रकरणों में यह स्थापित विधि है कि अभियोजन को अपना केस संदेह परे साबित करना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन के द्वारा निश्चित रूप से अपना केस संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। जब अभियोजन के द्वारा ही अभियोजन केस को सिद्ध एवं साबित न किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में डिफेन्स एवीडेन्स का उल्लेख करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः डिफेन्स एवीडेन्स का उल्लेख करना उपरोक्त परिस्थितियों में मैं उचित नहीं समझता हूँ।

21. इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–4 के रूप में उपलब्ध है। जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–4 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि एक किता तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 250/2019 अंतर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। उपरोक्त जी0डी0 कायमी के अंत में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि **महिला शादी–शुदा है। तीन बच्चों की मॉ है। प्रकाश में आया है कि प्रकरण प्रेम संबंधी है, अपने प्रेमी के साथ जाने का मामला है। मामला संदिग्ध है। पूर्व में इनका आपसी फैसला हो चुका है।**

उपरोक्त जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस की जानकारी में प्रारम्भ से यह तथ्य था कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता शादी–शुदा है तथा तीन बच्चों की मॉ है। मामला प्रेम संबंधों का है तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के अपने प्रेमी अर्थात् अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ जाने का मामला है। मामला संदिग्ध है। इसका पूर्व में फैसला हो चुका है। उपरोक्त सारी बातों की जानकारी स्थानीय पुलिस को होने के बावजूद अभियुक्त शिवम शर्मा को निराधार गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया, जिसे किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं

कहा जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में निश्चित रूप से तात्कालीन थानाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह, थाना प्रेमनगर, बरेली तथा विवेचक उप निरीक्षक सोनिया यादव तथा पर्यवेक्षण अधिकारी सी0ओ0 प्रथम, बरेली जिनका स्पष्ट नाम अंकित नहीं है और न ही आरोप–पत्र के अग्रसारण की कोई तिथि ही अंकित है, के द्वारा निश्चित रूप से अपने अधिकारों का घोर दुरूपयोग किया गया और अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में जब स्थानीय पुलिस के संज्ञान में प्रारम्भ से ही इस तथ्य की जानकारी थी कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता का प्रेम प्रसंग अभियुक्त शिवम शर्मा से चल रहा है और मामला पूर्णतः संदिग्ध है, तो निश्चित रूप से विवेचक को जरिये एफ0आर0 मुकदमें को समाप्त करना चाहिए था, न कि बनावटी आधार पर आरोप–पत्र दाखिल करना चाहिए था। प्रश्नगत मामले में ऊपर वर्णित विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त शिवम शर्मा को वादिनी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा मात्र पीड़िता की यह जिद की वह शादी –शुदा है एवं तीन बच्चों की मॉ होते हुए भी अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी करना चाहती थी जब अभियुक्त शिवम शर्मा ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता से शादी से इंकार कर दिया, तो उसने असत्य कथनों के आधार पर अभियुक्त शिवम शर्मा को निराधार गिरफतार करवाया, जिस कारण से अभियुक्त शिवम शर्मा को कारागार में निरूद्ध रहना पड़ा।

22. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता का अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ प्रेम संबंध था तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता शादी–शुदा एवं तीन बच्चों की मॉ होते हुए भी अभियुक्त शिवम शर्मा से शादी करना चाहती थी तथा वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी इच्छा एवं अपनी स्वतंत्र सहमति से अभियुक्त शिवम शर्मा के साथ शारीरिक संबंध

बनाये। गवाह पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो कि तथ्य की एकमात्र चश्मदीद साक्षी हैं, उन्हीं के बयानात से घटना असत्य एवं निराधार हो जाती है। गवाह पी0डब्लू0–4 नरेन्द्र गुप्ता परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में परीक्षित हुये हैं, किन्तु वह चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। प्रश्नगत प्रकरण मे वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा शादी शुदा एवं तीन बच्चों की मॉ होते हुए भी तथा बिना अपने पति से विवाह–विच्छेद करे, अभियुक्त शिवम शर्मा पर शादी का दबाव बनाने के उद्देश्य से असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। पत्रावली को देखने से एवं ऊपर वर्णित विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्त शिवम शर्मा को वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा निराधार गिरफ्तार करवाया गया। न्यायालय किसी भी मामले में मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। उचित मामलों में न्यायालय को अवश्य ही यदि किसी व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार करवाया गया है, तो प्रतिकर दिलवाया जाना चाहिए। ऐसी दशा में अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त शिवम शर्मा अंतर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिवम शर्मा पुत्र शैलेन्द्र शर्मा, निवासी हार्टमैन, कर्मचारी नगर, शिव कालोनी, थाना –प्रेमनगर, बरेली को सत्र परीक्षण सं0 03/2024, मुकदमा अपराध संख्या 250/2019, थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली में अंतर्गत धारा 376, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त शिवम शर्मा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437ए के अनुपालन में पूर्व में जमानतनामें दाखिल किये जा चुके हैं, जो कि निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगें।

उपरोक्त प्रकरण में सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा असत्य एवं निराधार कथनों के आधार पर झूठा मुकदमा मात्र अभियुक्त शिवम शर्मा पर शादी का दबाव बनाने के उद्देश्य से पंजीकृत करवाया गया। प्रश्नगत प्रकरण में जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–4 के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि थाना प्रेमनगर, बरेली की पुलिस को वादिनी मुकदमा/पीड़िता के अभियुक्त शिवम शर्मा से प्रेम संबंधों की जानकारी पहले से ही थी तथा इस बात की भी जानकारी थी कि मामला संदिग्ध है और इन लोगों का पहले आपसी फैसला हो चुका है। उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध थाना प्रेमनगर, जनपद बरेली की पुलिस के द्वारा असत्य कथनों के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में विवेचक उप निरीक्षक सोनिया यादव तथा तात्कालीन थाना प्रभारी, थाना प्रेमनगर, बरेली श्री बलवीर सिंह एवं संबंधित क्षेत्राधिकारी– प्रथम, बरेली के द्वारा भी अपनी पर्यवेक्षण की शक्तियों का उपयोग नहीं किया गया। इस संबंध में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 107 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूँ। ***पैरा 107 का सारांश यह है कि विवेचक को लिपिक की भॉति कार्य नहीं करना चाहिए। विवेचक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका कर्तव्य सत्य का पता लगाना है, न कि दोषसिद्धि प्राप्त करना। प्रश्नगत प्रकरण में निश्चित रूप से विवेचक उपनिरीक्षक सोनिया यादव के द्वारा सत्य की खोज नहीं की गयी।***

इस संबंध में मैं, माननीय उच्चतम न्यायालय की फुल बेंच द्वारा पारित विधि व्यवस्था राहुल व अन्य बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय व अन्य, 2022 लाइव लॉ (एस0सी0) 926 का उल्लेख करना

उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यदि एक फौजदारी अदालत को न्याय प्रदान करने में प्रभावी बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और मात्र रिकार्डिंग मशीन नहीं बनना चाहिए। पीठासीन न्यायाधीश को सच्चाई का पता लगाने में सक्रिय रूप से मुकदमें में भागीदार बनना चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में निश्चित रूप से अभियुक्त शिवम शर्मा को अनावश्यक रूप से कारागार में निरूद्ध रहना पड़ा है, जिससे संविधान में प्रदत्त उसके संवैधानिक अधिकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है, उसका निश्चित रूप से उल्लघंन हुआ है।

इस संबंध में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य विधि व्यवस्था अमितभाई अनिलचन्द्र शाह बनाम सी0बी0आई0, (2013) 6 एस0सी0सी0 348 का उल्लेख करना भी उचित समझता हूँ। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अभियुक्त को भी विवेचना में अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त होता है। आपराधिक न्याय का प्रशासन दो तरफा प्रक्रिया है, जहॉ न्यायालय को संविधान के तहत अभियुक्त के सुनिश्चित अधिकारों की रक्षा करना होती है वहीं न्यायालय को पीड़ित को भी न्याय सुनिश्चित करना होता है, जितना ही अनिवार्य पीड़ित को न्याय प्रदान करना है, उतना ही अनिवार्य अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करना भी है। यह निश्चित रूप से कठिन काम है। लेकिन दोनों के अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा करना कानून की अदालत पर समान रूप से एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। विवेचक आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। विवेचक की विश्वसनीय विवेचना मामले में पीड़ित को पूर्ण न्याय दिलाने की दशा में एक अग्रणी कदम है। इसलिए विवेचक की दोहरी जिम्मेदारी होती है अर्थात् विवेचक मामले की गहन विवेचना करे और फिर

उसे स्थापित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करे। विवेचक का कार्य सत्य को खोजना है। *अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन न केवल वादी मुकदमा वरन् अभियुक्त का भी मौलिक अधिकार है। न्यायालय के ऊपर दोनों अर्थात् वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। यदि वादी मुकदमा या पुलिस के द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया जाता है और अभियुक्त को गलत केस में फंसाया जाता है, तो वादी मुकदमा एवं पुलिस को निश्चित रूप से दण्डित करना चाहिए। प्रश्नगत मामले में पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से असत्य एवं निराधार आरोप–पत्र दाखिल करके अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया गया है।*

प्रश्नगत प्रकरण में निश्चित रूप से विवेचक उप निरीक्षक सोनिया यादव, तात्कालीन थानाध्यक्ष, थाना प्रेमनगर, बरेली श्री बलवीर सिंह एवं तात्कालीन क्षेत्राधिकारी –प्रथम, बरेली जिनका पूर्ण नाम आरोप–पत्र में अंकित नहीं है, के द्वारा अभियुक्त शिवम शर्मा के विरूद्ध असत्य कथनों के आधार पर आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस कारण से अभियुक्त शिवम शर्मा को निराधार कारागार में निरूद्ध रहना पड़ा। अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त अधिकारीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 219 एवं विभागीय कार्यवाही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बरेली जनपद में समस्त थानों की पुलिस को इस बात से सचेत करें कि विवेचक का कार्य सत्य को खोजना होता है, न कि असत्य कथनों के आधार पर किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमें में फंसाना।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 358 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह भी आदेशित किया जाता है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता जिसके द्वारा अभियुक्त शिवम शर्मा को निराधार गिरफ्तार करवाया गया है, उपरोक्त अभियुक्त शिवम शर्मा को प्रतिकर के रूप में 1,000/–(एक हजार रूपये) रूपये अंदर 30 दिवस अदा करना सुनिश्चित करे।

इस निर्णय की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को अविलम्ब नियमानुसार वाद लिपिक आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना सुनिश्चित करे।

वाद लिपिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 31.08.2024

(रवि कुमार दिवाकर)
JO CODE UP 1828
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)–प्रथम,
बरेली।

यह निर्णय आज दिनॉक 31.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

दिनांक 31.08.2024

(रवि कुमार दिवाकर)
JO CODE UP 1828
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)–प्रथम,
बरेली।

निर्णय टाइपकर्ता (स्टेनो)– अनिल कुमार शर्मा

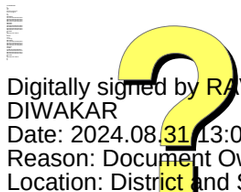

Digitally signed by RAVI KUMAR DIWAKAR
Date: 2024.08.31 13:08:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court